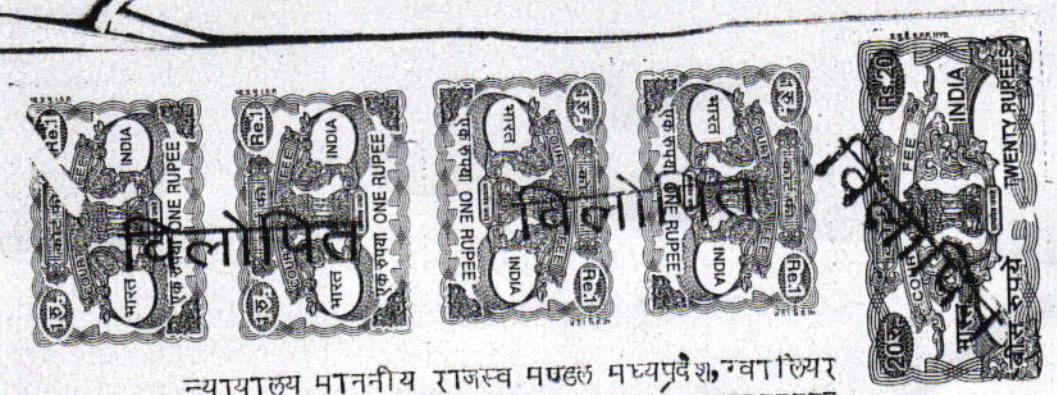

विलोपित विलोपित विलोपित

न्यायालय माननीय राजस्व मण्डल मध्यप्रदेश, ग्वालियर

प्रकरण क्रमांक ।२०१६ पुनराविलोकन (रिव्यू) R-1913-PBR-16

श्रीमती हरकुंवर बाई पत्नी भगवान लाल,
निवासी- कुर्रा रोड, डबरा जिला ग्वालियर ।
---- प्राथींया

विरुध्द

श्री ...... द्वारा आज दि. 15-6-16 को प्रस्तुत
क्लर्क ऑफ कोर्ट
राजस्व मण्डल म.प्र. ग्वालियर

१- ख्यालीराम (फौत) वारिस
रामस्वरूप (फौत) पुत्र ख्यालीराम वारिस
लालसिंह पुत्र रामस्वरूप,

२- दौलतराम (फौत) वारिस
१- गुलाब पुत्र दौलतराम,
२- श्रीमती दैविका बाई पत्नी स्व० दौलतराम

३- वेवलिया (फौत) वारिस-
१- रामप्रसाद पुत्र वेवलिया,
२- गोपाल पुत्र वेवलिया,
३- वंशी (फौत) वेवलिया वारिस
१- मेहरवान पुत्र वंशी
२- प्रीतम पुत्र वंशी,
३- मलखान पुत्र वंशी
४- राजू पुत्र वंशी,

१५।६।१६

४- हरदेवा (फौत) वारिस-
१- काशीराम पुत्र हरदेवा
२- नत्था पुत्र हरदेवा

५- नादरिया (फौत) वारिस-
१- रामचरन पुत्र नादरिया,
२- बाबूलाल पुत्र नादरिया,
३- पातिराम पुत्र नादरिया
समस्त निवासीगण ग्राम चक सौसा तिघरा,

तहसील डबरा जिला ग्वालियर (म०प्र०) ।

-------प्रतिप्रार्थीगण

पुनराविलोकन आवेदन पत्र अन्तर्गत धारा ५१ मध्यप्रदेश भू-राजस्व संहिता, १९५९। विरूध्द आदेश माननीय राजस्व मण्डल मध्यप्रदेश (पीठासीन-माननीय श्री मनोज गोयल, अध्यक्ष) दिनांकी ३०-३-१६।

प्र०क्र० १०३०-पीबीआर।१०- निगरानी ।

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण कमांक रिव्यु 1913–पीबीआर/2016 जिला ग्वालियर

समय तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
7.9.16	आवेदक अधिवक्ता द्वारा रिव्यु की ग्राह्यता पर प्रस्तुत तर्को पर विचार किया गया । यह रिव्यु आवेदन इस न्यायालय के प्रकरण कमांक निगरानी 1030–पीबीआर/2010 में पारित आदेश दिनांक 30–03–2016 के विरूद्ध म0प्र0भू–राजस्व संहिता, 1959 की धारा 51 के तहत प्रस्तुत किया गया है । 2– आवेदक के विद्वान अधिवक्ता द्वारा रिव्यु आवेदन की ग्राह्यता के बिन्दु पर प्रस्तुत तर्को पर विचार किया गया एवं प्रकरण का तथा आलोच्य आदेश का अवलोकन किया गया। निम्नलिखित तीन आधार विद्यमान होने पर ही रिव्यु आवेदन स्वीकार किया जा सकता है :– 1/ नई एवं महत्वपूर्ण बात/साक्ष्य का पता चलना जो उस समय जब आदेश पारित किया गया था, सम्यक् तत्परता के पश्चात् भी नहीं मिल पाई थी । 2/ अभिलेख से प्रकट कोई भूल/गलती । 3/ कोई अन्य पर्याप्त कारण । आवेदक ने रिव्यु का जो आवेदन प्रस्तुत किया है उसके परीक्षण से उक्तांकित आधारों में से कोई आधार विद्यमान होना नहीं पाया जाता है, इसलिये इस रिव्यु आवेदन में कोई बल नहीं होने से यह रिव्यु प्रकरण अग्राह्य किया जाता है । आवेदक सूचित हों । (मनोज गोयल) अध्यक्ष	